



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052025-263403
CG-DL-E-27052025-263403

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2280]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 26, 2025/ज्येष्ठ 5, 1947

No. 2280]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 26, 2025/JYAISTHA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2025

का.आ. 2334(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. **2319(E)** तारीख **14/06/2024**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी (गुलबर्गा) जिले में NH167N के कि.मी. 0.00 से कि.मी.15.85 (मिरियान तेलंगाना/कर्नाटक सीमा-चिंचोली खंड के पास) के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"28.06.2024"** को **"विजयवाणी कर्नाटक"** और **"इंडियन एक्सप्रेस"** दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी (गुलबर्गी) जिले में NH167N के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 15.85 (मिरियान तेलंगाना/कर्नाटक सीमा-चिंचोली खंड के पास) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: कलबुर्गी (गुलबर्गी)		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: चिंचोली					
गांव का नाम: चिंचोली [आर]					
1	155	निजी	वेट / बिल्टअप	1.1942	कमला डीओ दी बसवनप्पा भरती डीओ दी बसवन्ना मल्लिकार्जुन शेषाप्पा श्री शिवाकुमार कमाथा सो यागंतय्या श्री नारीपेड्डीसिंगय्या सो वीरय्या सोमशेखरा सो शरणप्पापाटील 155/2,155/3,155/5,155/7,155/8,155/9,155/10
2	171	निजी	वेट	0.7184	श्री बसवराज सो रचप्पा डीआर् राजशेखर सो संगप्पा पुतलाबाई वो जंगप्पा माली
3	204	निजी	वेट	1.8467	गवर्नमेंट चंद्रम्मा वो मस्तानप्पा गोपाल राओ सो सैदप्पा सुभोधा सो गोपाल राओकट्टीमणि होन्नाम्मा वो डोड्डा सम्बन्न शिवम्मा वो सन्ना सम्बन्न राघवेंद्र डीओ बसन्ना 204/2,204/12,204/13, 204/14, 204/54
Total				3.7593	

[फा. सं. RW/BNG/NH-167N/Km.0.00to 15.850/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2025

S.O. 2334(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 2319(E) Dated:14/06/2024 ,published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH167N in the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 15.85 (Near Miriyan Telangana/Karnataka Border-Chincholi Section) in the district of Kalaburagi (Gulbarga) in the state of KARNATAKA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Vijayvani Karnataka” and “Indian Express” both dated 28.06.2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 15.85 (Near Miriyan Telangana/Karnataka Border-Chincholi Section) of NH167N in the state of KARNATAKA.

State: KARNATAKA			District: Kalaburagi (Gulbarga)		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Chincholi					
Village: Chincholi [R]					
1	155	Private	Wet / Builtup	1.1942	Kamala Do Di Basavanappa Bharathi Do Di Basavanna Mallikarjuna Sheshappa Shree Shivakumar Kamatha So Yagantayya Shree NaripeddiSingayya So Veerayya Somashekhara So SharanappaPatil 155/2,155/3,155/5,155/7,155/8,155/9,155/10
2	171	Private	Wet	0.7184	Shree Basavaraj So Rachappa Dr Rajshekhar So Sangappa Putalabai Wo Jangappa mali
3	204	Private	Wet	1.8467	Government Chandramma Wo Mastanappa

					Gopal rao So Saidappa Subhodha So Gopal raokattimani Honnamma Wo Dodda Sambanna Shivamma Wo Sanna Sambanna Raghavendra Do Bassanna 204/2,204/12,204/13, 204/14, 204/54
Total				3.7593	

[F. No. RW/BNG/NH-167N/Km.0.00to 15.850/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director